

# यूको बैंक UCO BANK

(भारत सरकार का उपक्रम)

आंचलिक कार्यालय : 380-381, साकेत नगर, इंदौर (म.प्र.)  
फोन : 0731-2438331, 2438303  
फैक्स : 2438304, email: zo.indore@ucobank.co.in

## अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु ई-नीलामी सूचना

ई-नीलामी दिनांक 01.11.2017

### (वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहृत प्रवर्तन अधिनियम 2002) (सरफेसी अधिनियम 2002)

निम्न अधोहस्ताक्षरकर्ता यूको बैंक के प्राधिकृत अधिकारी की हैसियत से वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन और प्रतिभूतिहृत प्रवर्तन अधिनियम 2002, के तहत निम्न वर्णित ऋणियों/जमानतदारों द्वारा ऋण राशि चुकाने में असफल होने के कारण सेवकान 13(4) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक में रखी गई सांख्यिक संपत्ति का कब्जा ऋणियरों के समक्ष दर्शायी गई दिनांक को ले लिया है। प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नियम 8 (5सी) के अंतर्गत आम जनता को विस्तृत में ये जानकारी दी जाती है कि निम्न वर्णित ऋणियों/जमानतदारों की निम्न संपत्ति की आम नीलामी "जहाँ है जैसी है और जैसी है वैसी है" के आधार पर वर्णित दिनांक को यूको बैंक की विभिन्न शाखाएं की ऋण वसूली हेतु निम्नलिखित विस्तृत जानकारी के अनुसार की जा रही है।

क्रं.	ऋणियों का नाम	ऋणी के खाते में बकाया राशि (₹)	सूचना दिनांक एवं आधिनियम दिनांक	स्वायत्त शासी संस्थाओं का बकाया	संपत्तियों का विवरण एवं संपत्ति मालिका का नाम	आरक्षित मूल्य यथा बयाना राशि		ईएमडी खाता क्र., शाखा एवं आईएफएससी कोड क्रं.	ई-नीलामी की दिनांक एवं समय
						बढ़ने वाली बोली के लिए बढ़ती कीमत	बढ़ने वाली बोली के लिए बढ़ती कीमत		
1.	मेसर्स राधिका वेयरहाउस एंड एग्री सर्विसेस (प्रोप्रा.: श्री मनमोहन यादव पिता श्री मुरारीलाल यादव)	1,63,57,980.30 + ब्याज एवं अन्य खर्च	15.02.2011 30.04.2011	पता नहीं	प्लाट पर कुर्सी का क्षेत्रफल 42768 वर्गफीट, भूमि सर्वे क्रमांक 498 (भाग) प.ह.न. 13 (नया)-65, ग्राम: जैतपुरा, तहसील / जिला: धार, क्षेत्रफल: 0.843 हेक्टेयर (संपत्ति पर बैंक का भौतिक कब्जा है।)	₹. 107.10 लाख ₹. 10.71 लाख ₹. 1,00,000/-	02580210003947 न्यू पलासिया, इंदौर UCBA0000258	01.11.2017 सुबह 11.00 से 1.00 बजे तक	
2.	मेसर्स गोरीनंदा वेयरहाउस एंड एग्री सर्विसेस (प्रोप्रा.: श्रीमती राधा यादव पति श्री तुलसी राम यादव)	1,53,53,054.60 + ब्याज एवं अन्य खर्च	15.02.2011 30.04.2011	पता नहीं	प्लाट पर कुर्सी का क्षेत्रफल 38300 वर्गफीट, भूमि सर्वे क्रमांक 498 (भाग) प.ह.न. 13 (नया)-65, ग्राम: जैतपुरा, तहसील / जिला: धार, क्षेत्रफल: 0.843 हेक्टेयर (संपत्ति पर बैंक का भौतिक कब्जा है।)	₹. 99.00 लाख ₹. 9.90 लाख ₹. 1,00,000/-	02580210003947 न्यू पलासिया, इंदौर UCBA0000258	01.11.2017 सुबह 11.00 से 1.00 बजे तक	
3.	मेसर्स शिवम वेयरहाउस एंड एग्री सर्विसेस (प्रोप्रा.: श्री दीपक यादव पिता श्री बेनी प्रसाद यादव)	1,46,36,793 + ब्याज एवं अन्य खर्च	15.02.2011 30.04.2011	पता नहीं	प्लाट पर कुर्सी का क्षेत्रफल 42192 वर्गफीट + ऑफिस 2520 वर्गफीट, भूमि सर्वे क्रमांक 498/3, प.ह.न. 13 (नया)-65, ग्राम: जैतपुरा, तहसील / जिला: धार, क्षेत्रफल: 0.843 हेक्टेयर (संपत्ति पर बैंक का भौतिक कब्जा है।)	₹. 110.70 लाख ₹. 11.07 लाख ₹. 1,00,000/-	02580210003947 न्यू पलासिया, इंदौर UCBA0000258	01.11.2017 सुबह 11.00 से 1.00 बजे तक	
4.	मेसर्स साईनाथ वेयरहाउस एंड एग्री सर्विसेस (प्रोप्रा.: श्री संदीप यादव पिता श्री बेनी प्रसाद यादव)	1,39,52,784 + ब्याज एवं अन्य खर्च	15.02.2011 30.04.2011	पता नहीं	प्लाट पर कुर्सी का क्षेत्रफल 40150 वर्गफीट, भूमि सर्वे क्रमांक 3/3, 3/6 एवं 3/2 पैकी, प.ह.न. 34, ग्राम: बदीपुरा, तहसील: देपालपुर, जिला: इंदौर क्षेत्रफल: 0.707 हेक्टेयर	₹. 126.00 लाख ₹. 12.60 लाख ₹. 1,00,000/-	02580210003947 न्यू पलासिया, इंदौर UCBA0000258	01.11.2017 सुबह 11.00 से 1.00 बजे तक	

नियम एवं शर्तें : संपत्ति का विक्रय सेक्यूरिटी इंस्ट्रुमेंट (इनफोर्समेंट) नियम 2002 के अंतर्गत एवं नीचे वर्णित शर्तों के आधार पर ही होगा। (1) संपत्ति का विक्रय भार सहित "जहाँ है जैसी है और जैसी है वैसी है" के आधार पर होगा। (2) नीलामी/बोली केवल ऑनलाइन इलेक्ट्रॉनिक बोली के माध्यम से वेबसाइट <https://ucobank.auctiontiger.net> के द्वारा होगी। बोलीकर्ताओं को परामर्श दिया जाता है कि वे ई-नीलामी प्रक्रिया में भाग लेने के पूर्व वेबसाइट देख लें। (3) संपत्ति का निरिक्षण बैंक के प्राधिकृत अधिकारी से पूर्व में अनुमति लेकर किसी भी कार्य दिवस में दोपहर 3.00 बजे से सांयकाल 5.00 बजे तक कर सकते हैं। (4) आरक्षित मूल्य से कम कीमत पर संपत्ति का विक्रय नहीं होगा। विक्रय प्रक्रिया में भाग लेने वाले बोलीकर्ता नीलामी के मध्य अपनी बोली आगे बढ़ा सकते हैं। (5) ईएमडी राशि आरक्षित मूल्य का 10% आरटीजीएस/एनईएफटी द्वारा फंड सम्बंधित संपत्ति के समक्ष उल्लेखित शाखा एवं खाते में दिनांक 30.10.2017 दोपहर 4.00 बजे तक या इसके पूर्व जमा करना होगा। (6) इच्छुक बोलीकर्ताओं के पास अपना वैध डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाण पत्र एवं ई-मेल पता होना चाहिए। डिजिटल हस्ताक्षर की विस्तृत जानकारी हेतु कृपया सेवा प्रदाता ऑक्शन टाईगर, श्री अल्पेश गुप्ता: मो.: +91-9893377336, टेलीफोन: 079-40270594 से 598, हेल्पलाईन ई-मेल आईडी: [mp@auctiontiger.net](mailto:mp@auctiontiger.net) या [alpesh@auctiontiger.net](mailto:alpesh@auctiontiger.net), ईएमडी की राशि जमा करने के पश्चात तुरंत उसी दिन बोलीकर्ता को चाहिए कि वे डिजिटल हस्ताक्षर प्राप्त करने के लिए सेवा प्रदाता से मिलें (यदि बोलीकर्ता के पास वैध डिजिटल हस्ताक्षर न हो तो)। (7) ईएमडी राशि चुकाने के पश्चात इच्छुक बोलीकर्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेजों की विस्तृत जानकारी दिनांक 30.10.2017 दोपहर 04.00 बजे या इसके पूर्व तक यूको बैंक, झोनल ऑफिस में व्यक्तिगत रूप से या मेल द्वारा जमा हो जाना चाहिए। (1) ईएमडी की राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के, द्वारा जमा की हो तो उसकी प्राप्त रसिद यूटीआर नं. सहित। (2) पेन कार्ड, आईडी प्रूफ एवं एंडेस प्रूफ कॉपी जबकि सफल बोलीकर्ता द्वारा इनके मूल दस्तावेज बैंक को बिड राशि की 25% जमा करते समय देना होगा। (3) बोलीकर्ता का नाम, संपर्क नं., पता, ई-मेल आईडी (4) ऑनलाइन ईएमडी की राशि वापस करने के लिए बोलीकर्ता के खाते की विस्तृत जानकारी। (8) इच्छुक बोलीकर्ता को अपना नाम पोर्टल <https://ucobank.auctiontiger.net> पर पंजीकृत करना होगा एवं उनकी यूजर आईडी, पासवर्ड नि:शुल्क प्राप्त करें। संभावित बोलीकर्ता सेवाप्रदाता ऑक्शन टाईगर, श्री अल्पेश गुप्ता: मो.: +91-9893377336, टेलीफोन: 079-40270594 से 598, हेल्पलाईन ई-मेल आईडी: [mp@auctiontiger.net](mailto:mp@auctiontiger.net) या [alpesh@auctiontiger.net](mailto:alpesh@auctiontiger.net) से ऑनलाइन ई-नीलामी की प्रक्रिया हेतु प्रशिक्षण ले सकते हैं। (9) नीलामी असफल बोलीकर्ता द्वारा जमा की गई ईएमडी राशि संपत्ति के विक्रय की पुष्टि के दो दिन पश्चात वापस कर दी जावेगी। ईएमडी राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। (10) ऑनलाइन नीलामी की प्रक्रिया समाप्त होते समय बोलीकर्ता द्वारा उद्यतम बोली लगाई जाती है (आरक्षित मूल्य से कम नहीं) तो उस बोलीकर्ता को सफल बोलीकर्ता घोषित किया जायेगा। सुरक्षित लेनदार द्वारा विक्रय की पुष्टि के पश्चात ही सफल बोलीकर्ता के पक्ष में विक्रय की पुष्टि की जायेगी। (11) सफल बोलीकर्ता को उसके पक्ष में बोली की पुष्टि के तुरंत बाद विक्रय मूल्य का 25 प्रतिशत (ईएमडी की राशि सहित जो पूर्व में जमा की गई है) जमा करनी होगी एवं शेष राशि सुरक्षित लेनदार द्वारा विक्रय की पुष्टि होने की दिनांक से 15 दिनों के भीतर जमा करानी होगी। यदि सफल बोलीकर्ता उपर वर्णित समयावधि में राशि चुकाने में असफल होता है तो प्राधिकृत अधिकारी द्वारा पूर्व में बिना कोई सूचना दिए उसकी जमा राशि जप्त कर ली जावेगी एवं संपत्ति का पुनः विक्रय किया जावेगा। (12) सफल बोलीकर्ता द्वारा दस्तावेजों के निष्पादन में होने वाले सभी खर्च, रजिस्ट्रेशन फीस, स्टॉम्प शुल्क, टैक्स, सरकारी बकाया इत्यादि स्वयं वहन करने होंगे। (13) प्राधिकृत अधिकारी के पास बोली को स्थगित करने, आगे बढ़ाने या नियम व शर्तों को बिना पूर्व सूचना दिये बदलने का अधिकार सुरक्षित है। (14) यदि किसी बोलीकर्ता के पास इंटरनेट की सुविधा नहीं है और यदि वो ई-नीलामी की प्रक्रिया में भाग लेने का इच्छुक है तो वह संबंधित अचल अधिकारी एवं संबंधित शाखा से संपर्क कर सकता है, जो कि आवश्यक सुविधाओं का प्रबंध कर सकता है। विशेष निर्देशन/सावधानी: यह बोलदाता/कर्ता के हित में होगा कि वे आखिरी क्षण में बोली न लगाएं क्योंकि किसी भी चूक/विफलता (इंटरनेट विफलता/बिजली कट जाना आदि) के लिए न तो बैंक और न ही सेवा प्रदाता जिम्मेदार होगा। इस प्रकार की आकस्मिक स्थितियों से निपटने के लिए बोलीकर्ताओं से अनुरोध है कि वे सभी आवश्यक व्यवस्थाएं/विकल्प जैसे बिजली आपूर्ति हेतु वे-अप की तैयारी रखें ताकि ऐसी स्थिति को दूरिकार कर सकें एवं सफलता पूर्वक नीलामी में भाग ले सकें।